लॉकडाउन खुलने के उपरांत, कलीसिया, गिरिजा घरों और संगतियों के लिए परामर्श

COVID-19 के लॉकडाउन के कारण पिछले ढाई महीने से आराधना एवं प्रार्थना स्थल बंद हैं। 30 मई 2020 को भारत सरकार ने अन्य सार्वजनिक स्थानों के साथ-साथ धार्मिक स्थानों के लिए प्रतिबंधों में ढील देने पर एक अधिसूचना जारी की थी| इसलिए धार्मिक संस्थान अब खुल सकते हैं। इसमें पहले 8 जून 2020 को परिसर को कीटाणुरहित करने के लिए धार्मिक संस्थान खुल सकते हैं तथा 9 जून 2020 से वे अपने कार्य प्रारंभ कर सकते हैं|

केंद्र के दिशानिर्देशों के अनुसार, कई राज्यों ने भी लॉकडाउन प्रतिबंधों को कम करने और 9 जून 2020 से प्रार्थना स्थलों के कामकाज को प्रारंभ करने देने का फैसला किया है। कुछ राज्यों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि को प्रारंभ करने की अनुमति दी गयी है, जिनमें दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल आदि शामिल हैं। लेकिन एक समय पर एक साथ प्रार्थना करनेवालों की संख्या सीमित रखी गई है। अन्य राज्यों जैसे तमिलनाडु और ओडिशा में प्रार्थना स्थल खोलने के लिए अभी भी प्रतिबंध है।

“इवैंजेलिकल फ़ेलोशिप ऑफ़ इंडिया” द्वारा ज़ारी की गयी ये सलाह उन कलीसियाओं, गिरिजा घरों, और संगतियों के लिए हैं जो की ऐसे राज्यों में स्थित हैं जहां प्रार्थना स्थलों को खोलने की अनुमति है। कृपया यह जांच लें की आपके राज्य में प्रशासन ने प्रार्थना के स्थलों को खोलने की अनुमति दी है या नहीं।

सामान्य दिशा - निर्देश

1. ऐसे लोग जो 10 वर्ष से अधिक आयु के और 65 वर्ष से कम आयु के हैं तथा जिनमें बुखार, ठण्ड लगना, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, गले में दर्द के लक्षण नहीं हैं, केवल वे ही कलीसिया की प्रार्थना सभा में सम्मेलित हो सकते है|

2. 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और वे जिन्हें पुरानी बीमारियां तथा सहरुग्णता हैं,उन्हें घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है।

3. उन सदस्यों के फायदे के लिए जो विभिन्न कारणों से प्रार्थना सभा में नही आ सकते, यह अनुशंसा की जाती है कि चर्च सेवा को ऑनलाइन प्रसारित करने के साथ-साथ विभिन्न सोशल मीडिया संसाधनों का उपयोग किया जाये।

4. COVID -19 का संकट खत्म होने तक सभी बेदारी तथा आत्मिक जाग्रति सभाएं और सभी बड़ी सभाओं को रद्द करने की सलाह दी गई है। सोशल मीडिया और कॉन्फ्रेंसिंग संसाधनों का उपयोग करके उन सभाओं को आयोजित किया जा सकता है।

5. आराधना सभा में शामिल होने वाले सभी लोगों के लिए मास्क अनिवार्य होना चाहिए।

6. सभी पुरोहित, याजक, पादरी, अगुवे, सह-याजक और प्रचारक सहित वे सब लोग जो प्रार्थना सभा में अगुवाई करेंगे, उन्हें मुखौटा और दस्ताने प्रदान किए जाने चाहिए।

7. यह अनुशंसा की जाती है कि, यदि कलीसिया, "सभी उपासकों के लिए प्रवेश के स्थान पर तापमान रिकॉर्ड करने के लिए थर्मल अवरक्त थर्मामीटर" लगाना चाहती है तो उसे खरीद कर लगा सकती है|

8. सब व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर जहां तक संभव हो, न्यूनतम 6 फीट की दूरी रखनी चाहिए, या फिर ऐसी दूरी जो राज्य शासन द्वारा निर्धारित की गई हो।

9. कलीसिया के प्रवेश द्वार पर एक कीटाणुनाशक सुरंग/दरवाज़ा (disinfectant tunnel) का इस्तेमाल करके सदस्यों को रोगाणुओं से मुक्त किया जा सकता है।

10. कलीसिया स्थल के प्रवेश और निकास स्थान पर कम से कम 70% अल्कोहल आधारित सैनिटाइज़र का उपयोग, उपासकों को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए भी किया जा सकता है।

11. यद्यपि हाथ गंदे नहीं दिखाई दे रहे हों, तब भी उन्हें साबुन से धोना (कम से कम 40-60 सेकंड के लिए) आवश्यक है। कलीसिया परिसर के शौचालयों को उचित सुविधाओं से सुसज्जित रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। चर्च परिसर में सुविधाजनक क्षेत्रों में अल्कोहल आधारित सैनिटाइज़र को रखा जाना चाहिए और सभी लोगों को उस का उपयोग कम से कम 20 सेकंड करके अपने हाथो को साफ़ रखना चाहिए।

12. श्वसन शिष्टाचार (Respiratory etiquettes) का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। जिसमें मुंह और नाक को ढकने का सख्त अभ्यास शामिल है, खांसते / छींकते समय टिश्यू / रूमाल / कोहनी का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल किए गए टिश्यू का अच्छी तरह से निबटारा (डिस्पोज) करे|

13. थूकना सख्त वर्जित होना चाहिए।

14. अगर संभव हो तो, आगंतुकों को अलग अलग समयों पर नियंत्रण करके बुलाये ताकि सब एक साथ न आएं।

15. भीड़भाड़ से बचने के लिए छोटे समूहों में और अलग-अलग समय में कलीसिया में प्रार्थना सभा संचालन करने की सलाह दी जाती है। यह हर विश्वासी को उनके लिए उपयुक्त विभिन्न समय को चुनने में मदद करेगा|

16. बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जानी चाहिए कि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहे। राज्य शासन की अधिसूचना के अनुसार सामाजिक दूरी के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कलीसिया में कुर्सियों, बेंचों आदि की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

17. भजन / गीत के गायन और उत्तरदायी पाठ पढ़ने के लिए के लिए एलसीडी प्रोजेक्टर / OHP प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। कृपया कलीसिया के भजन / गीत पुस्तकों का इस्तेमाल ना करें।

18. संक्रमण के फैलने के संभावित खतरे के मद्देनजर, जहा तक संभव हो रिकॉर्डेड भक्ति संगीत / गाने बजाए जा सकते हैं। स्थिति में सुधार होने तक गायक या गायन समूहों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

19. अगर संभव हो तो आगंतुकों के लिए अलग प्रवेश और निकास की सुविधा की व्यवस्था होनी चाहिए।

20. जूते/चप्पल विशेष रूप से खुद के वाहन के अंदर से उतारने चाहिए। अगर भवन के बाहर उतार रहे हैं तो उन्हें अलग अलग ढ़ेरियों में व्यक्ति या परिवार के हिसाब से स्वयं की ज़िम्मेदारी पर व्यवस्थित करें।

21. भारत सरकार द्वारा 'आरोग्य सेतु ऐप' का उपयोग करने की सिफारिश की गई है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है।

22. यदि कोई भी उपासक या कलीसिया के किसी सदस्य में COVID-19 (जैसे कि खांसी या सांस की तकलीफ या निम्न लक्षणों में से कम से कम दो बीमारी के कोई लक्षण है: बुखार, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, गले में खराश) के लक्षण दिखाई दे, उसे कलीसिया के प्रार्थना सभा में शामिल होने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। उन्हें चिकित्सक से परामर्श करने के लिए सलाह दी जाए कि वे चिकित्सा पर ध्यान दें और खुद की जांच करवाएं।

23. आसपास के क्षेत्रों में ऐसे अस्पताल / क्लिनिक, जो COVID-19 के उपचार के लिए उपलब्ध हों, उनकी पहचान की जानी चाहिए और यह जानकारी कलीसिया के परिसर में एक विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित की जानी चाहिए, जहां से यह सभी सदस्यों / उपासकों को हर समय दिखाई दे।

24. परिसर में संदिग्ध या पुष्टि हुए बीमारी के मामले में:

- बीमार व्यक्ति को ऐसे कमरे या क्षेत्र में रखें जहाँ वे दूसरों से अलग-थलग हों।
- उस वक़्त तक मास्क / फेस कवर प्रदान करें जब तक उसकी जांच डॉक्टर द्वारा न की जाए|
- तुरंत निकटतम चिकित्सा सुविधा (अस्पताल / क्लिनिक) को सूचित करें या राज्य या जिला हेल्पलाइन पर कॉल करें।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (जिला आरआरटी / उपचार चिकित्सक) द्वारा एक जोखिम आकलन किया जाएगा और तदनुसार मामले के प्रबंधन, उसके अनुबंध और कीटाणुशोधन की आवश्यकता के संबंध में आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
- यदि व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो परिसर का विसंक्रमण किया जाये।

प्रभु भोज/ पवित्र भोज / प्रभु की मेज

1. वो सेवक/ सहायक जो प्रभु भोज/ पवित्र भोज / प्रभु की मेज तैयार करते हैं, वे पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ करें। अगर राज्य सरकार के आदेश द्वारा प्रभु भोज/ पवित्र भोज / प्रभु की मेज पर प्रतिबंध नहीं है तो कलीसियाएँ प्रभु भोज/ पवित्र भोज / प्रभु की मेज का संचालन कर सकती हैं। कई राज्यों में प्रसाद का वितरण निषिद्ध कर दिया गया है पर अभी तक प्रभु भोज के विषय में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं हैं, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि उन राज्यों में प्रसाद के वितरण पर जो प्रतिबंध लागू होते हैं, वही नियम प्रभु भोज में शामिल होने के लिए भी लागु होंगे, हालाँकि आध्यात्मविद्या के अनुसार दोनों में बहुत अंतर है।

2. इससे पहले कि पवित्र रोटी/ब्रेड को खोला जाए और ट्रे / प्लेटों में रखा जाए और कप में दाखरस डाला जाए, हाथों को आइसोप्रोपिल एल्कोहल या इथेनॉल से बने प्रक्षालक (sanitizer) से अच्छी तरह साफ किया जाना चाहिए। रोटी का बांटने वाले याजक / प्रेस्बिटेर / पादरी को दस्ताने, साफ़ मास्क और फेस शील्ड (face shield) पहनना चाहिए। उपासकों को इसे सीधे ट्रे से लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। दाखरस को अलग-अलग कपों में दिया जाए । किसी भी हालत में एक ही प्याले से सब को दाखरस न दिया जाए। दाखरस के कप और रोटी की ट्रे को उपयोग से पहले और बाद में सैनिटाइज़र से साफ़ करना चाहिए। प्रभु भोज के बाद दाखरस के प्यालों (cups) का संग्रह एक बड़ी खुली ट्रे में होना चाहिए। जो व्यक्ति प्यालों को उठाये, वो पहले दस्ताने और मुखौटा पहने।

चर्च परिसर / आराधना स्थल

1. परिसर के भीतर साफ़ सफाई बनी रहनी चाहिए ख़ास तौर पर शौचालय, हाथ और पैर धोने वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें।

2. COVID-19 के बारे में निवारक उपायों के पोस्टर / स्टैंडी आदि को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। COVID-19 से सम्बंधित एहतियात तथा निवारक उपायों की जानकारी देने के लिए ऑडियो और वीडियो क्लिप भी, यदि संभव हो, तो नियमित रूप से दिखाते रहना चाहिए।

3. एयर-कंडीशनिंग / वायु-संचार (ventilation) के लिए, सीपीडब्ल्यूडी (CPWD) के दिशानिर्देशों का पालन किया जाए, जिसमें सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 24-30°C की सीमा में होनी चाहिए, और सापेक्ष आर्द्रता (relative humidity) 40-70% की सीमा में होनी चाहिए। ताजी हवा का इस्तेमाल जितना संभव हो उतना होना चाहिए और क्रॉस वेंटिलेशन पर्याप्त होना चाहिए।

4. पार्किंग और बाहर के परिसर में, सामाजिक दूरी मानदंडों के अनुसार, उचित भीड़ प्रबंधन- विधिवत रीती से किया जाना चाहिए।

5. परिसर के बाहर और भीतर किसी भी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया आदि को हर समय सामाजिक दूरियों के मानदंडों का पालन करना चाहिए।

6. विशिष्ट चिन्हों को बनाकर पर्याप्त सामजिक दूरी सुनिश्चित की जाये ताकि कतारें प्रबंधनीय हों और परिसर के भीतर भी सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जा सके।

7. कलीसिया के सफाई कर्मचारियों / स्वयंसेवकों को हर समय मास्क, दस्ताने और टोपी / बालों के लिए सुरक्षा कवच पहनना चाहिए। सफाई करते समय उन्हें अपने चेहरे को नहीं छूना चाहिए और सफाई का काम खत्म होने के बाद, अपने हाथों को कीटाणुनाशक साबुन से धोना चाहिए।सफाई कर्मचारियों को अपना मुखौटा (mask) हर उपयोग के बाद बदलना चाहिए और चर्च सेवा के अंत में अपने दस्ताने को उचित स्थान अर्थात कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। अच्छा होगा कि काम करते समय पहनने वाले कपड़ों की एक या दो जोड़ी कलीसिया भवन में ही रखें।

8. सफाई कर्मचारियों को दस्ताने निकालने के बाद कम से कम 20 सेकंड के लिए साबुन और पानी से अपने हाथों को अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए।

9. ख़ास ख्याल रखना चाहिए की उन जगहों / स्थानों की जहां लोगों का हाथ ज्यादा लगता है ध्यानपूर्वक सफाई हो। उदाहरणार्थ बेंच, कुर्सी और किसी भी ऐसे उपकरण को जिसका कि एक से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल लिया जाता हो। दरवाजे की कुण्डी, हैंडल, सीढ़ीया,क्लास रूम डेस्क, कुर्सियां, टेबल हैंड्रिल, लाइट स्विच,रिमोट कंट्रोल, आदि को साफ और कीटाणुरहित सैनिटाइज्ड करना अनिवार्य है।

10. सफाई करते समय पहने जाने वाले कपड़ों को प्लास्टिक की थैली में रखा जाना चाहिए, जब तक कि यह कपड़े धोने के लिए नहीं ले जाते| लॉन्ड्रिंग (कपड़ों की सफाई) को जल्द से जल्द किया जाना चाहिए और सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए।

11. चर्च के फर्श और फर्नीचर को साफ करने के लिए साबुन और पानी या किसी अन्य डिटर्जेंट का उपयोग करें। उसके बाद कीटाणुनाशक का भी उपयोग किया जा सकता है। एकअच्छे और जाने पहचाने वाले ब्रांड के घरेलू निस्संक्रामक (डिसइंफेक्टेंट) का उपयोग करें और उसपे लिखे हुए निर्देशों का पालन करें। कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए जांचें कि उत्पाद समाप्ति तिथि के बाद का तो नहीं है। अमोनिया या किसी अन्य क्लीन्ज़र के साथ कभी भी घरेलू ब्लीच को न मिलाएं। घोल को कम से कम 1 मिनट के लिए सतह पर छोड़ दें।

12. ठीक से कीटाणुरहित करने के लिए एक हस्तनिर्मित ब्लीच घोल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे तैयार करने के लिए 3.8 लीटर पानी में लगभग 35-50 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर ब्लीच का घोल तैयार करें। केवल इतना पतला ब्लीच घोल बनाएं जिसे 24 घंटे में इस्तेमाल किया जा सके। उसके बाद, घोल प्रभावी नहीं होता है। यह तरीका सस्ता और बहुत प्रभावी हो सकता है।

ध्यान दें

राज्य सरकारें, आपदा प्रबंधन अधिनियम के अलावा महामारी रोग अधिनियम 1897 का भी उपयोग कर रही है। COVID-19 के संक्रमण को नियंत्रित और रोखने के लिए जो अधिनियम और दिशानिर्देश बनाएं गए हैं, उसे हर परिस्थिति में पालन करने की आवश्यकता है। अगर कार्यकारी आदेशों की अवहेलना होती है या मानव जीवन, स्वास्थ और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होता है, तो दंगा या दंगा कराने के आरोप में उस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को कुछ समय/अवधि के लिए कारावास भी, जो बढ़कर छह महीने तक हो सकता है, या जुर्माना भी जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों की सज़ा मिल सकती है।

COVID -19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए हर राज्य के अपने अलग-अलग दिशा-निर्देश और प्रक्रियाएं हैं जिनका उस विशेष राज्य के अधिकार क्षेत्र में पालन किया जाना आवश्यक है। इस सलाह को विभिन्न सरकारी निकायों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य दिशानिर्देशों के साथ पढ़ा जाना अनिवार्य है।

द्वारा जारी:
रेव. विजयेश लाल,
महासचिव - इवैंजेलिकल फैलोशिप ऑफ इंडिया

इवैंजेलिकल फैलोशिप ऑफ इंडिया (EFI), 1951 में स्थापित, इवैंजेलिकल मसीहियों का राष्ट्रीय गठबंधन है। इसकी सदस्यता में 54 से अधिक संप्रदाय और संबंधित मंडलियां (65,000 से अधिक चर्च), 200 से अधिक चर्च से संबंधित मिशन एजेंसियां और संगठन और हजारों व्यक्तिगत सदस्य शामिल हैं। इवैंजेलिकल मसीहियों के केंद्रीय नेटवर्क और सेवा संगठन के रूप में, EFI इवैंजेलिकल आवाज और समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी को बढ़ावा देने की क्षमता को बढ़ाता है।